चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 07.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 07.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया तथा ड्रील कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा में जाकर थानों से आयी चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण कर कर्मचारियों का अर्दली रुम किया गया।
परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राज कमल,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 07.08.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 113/20 धारा 364,302,201,429 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.लखन उर्फ लखना कोल उर्फ रामलखन पुत्र छक्की कोल निवासी उमरहन थाना बहिलपुरवा 2. भैरव कोल उर्फ भैरो पुत्र ललिवा कोल निवासी करका थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 01.09.2020 को वादी कल्लू यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी वजहा पुरवा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी कि अभियुक्त लखन उर्फ लखना उपरोक्त,भैरव कोल उपरोक्त द्वारा उनके पुत्र राजू यादव उर्फ साधु यादव को बकरी को मारने में हुई लड़ाई में अपहरण कर कुल्हाड़ी से मार दिया गया। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 113/20 धारा 364,302,201,429 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की गई। विवेचक द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध दिनाँक 09.12.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा दिनांक आज 07.08.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना मारकुंडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/25 धारा 103(1)

बीएनएस के आरोपी अभियुक्त जीवनलाल कोल पुत्र स्व0 बूँदा कोल उर्फ माताबदल निवासी टिकरिया कोलान थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2025 को वादी दादूलाल कोल पुत्र भैया लाल कोल निवासी टिकरिया थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुंडी पर सूचना दी गई की अभियुक्त जीवनलाल कोल उपरोक्त द्वारा उनके भाई लोकल उर्फ विक्रम कोल की मसनाहा रोड पर पत्थर से मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना मारकुंडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद द्वारा संपादित को गई। विवेचक द्वारा अभियुक्त को दिनांक 19.03.2025 को गिरफ्तार कर, दिनाँक 30.04.2025 को आरोप पत्र मा0न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 07.08.2026 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2016 धारा 25A आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त रज्जन पटेल पुत्र कामता प्रसाद पटेल निवासी ग्राम छीतपुर मजरा दादरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।